70

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस.एस. अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमाक 1336-चार/08 विरूद्ध आदेश दिनांक 13-10-08 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 627/निग./2006-07

.....

1- रामनरेश पटेल तनय स्व. श्री रामसजीवन पटेल
2- जगदीश पटेल तनय स्व. श्री रामसजीवन पटेल
3- इन्द्रलाल पटेल तनय स्व. श्री रामसजीवन पटेल
4- इन्द्रपाल पटेल तनय स्व. श्री रामसजीवन पटेल
5- बृजलाल पटेल तनय स्व. श्री रामसजीवन पटेल
6- दादूलाल पटेल तनय स्व. श्री रामसजीवन पटेल
7- लालता प्रसाद पटेल तनय स्व. श्री रामसजीवन पटेल

निवासीगण- ग्राम देवहटा, पो. लालगांव, थाना गढ़
हाल तहसील मनगवां, जिला- रीवा (म.प्र.)

-----आवेदकगण

विरूद्ध

रामलखन पटेल तनय श्री चन्द्रभान पटेल
निवासी- ग्राम देवहटा, पो. लालगांव, थाना गढ़
हाल तहसील मनगवां, जिला- रीवा (म.प्र.)

------अनावेदक

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

:: आदेश ::

{ आज दिनांक 5/4/18 को पारित }

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राज्स्व संहिता 1959 {जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा} की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-10-08 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक ने ग्राम गोंदरी स्थित विवादित भूमि आराजी नं0 08 और 11 रकबा क्रमश: 0.25 एकड़ एवं 0.31 एकड़ की भूमि का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार गुढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार गुढ़ ने राजस्व निरीक्षक गुढ़ से वादग्रस्त भूमि के संबंध में जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर सीमांकन आवेदन पत्र को आपत्ति प्राप्त न होने के पश्चात दिनांक 29-05-2006 से सीमांकन की पुष्टि की । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा निगरानी अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई, जहॉ अपर कलेक्टर ने अपने प्रकरण क्रमांक 521/अ-12/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 30-05-07 से निगरानी स्वीकार की तथा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया। इसी आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिस पर अपर आयुक्त रीवा ने 627/निग./2006-07 पर पंजीबद्ध कर दिनांक 13-10-08 से तहसीलदार गुढ़ के द्वारा पारित आदेश 29-05-06 को विधिवत माना तथा निगरानी स्वीकार की । इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है। अत: प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है।

4/ अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेखों का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनावेदक ने विवादित भूमि का सीमांकन किये जाने हेतु तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा राजस्व निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त् करने के पश्चात सीमांकन का आदेश पारित किया है । अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि तहसील न्यायालय ने सरहदी काश्तकारों को सूचना दिये बिना ही आदेश पारित किया है, इसलिये किया गया सीमांकन विधिनुकूल न मानकर निरस्त किया है । जबकि प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार के निर्देशानुसार राजस्व निरीक्षक ने सरहदी काश्तकारों को सूचना पत्र जारी किये जाने के पश्चात, सीमांकन आवेदन पर कोई आपत्ति प्राप्त न होने पर विवादित भूमि का परिक्षण कर प्रतिवेदन तैयार किया तथा तहसील न्यायालय को प्रेषित किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार ने संहिता की धारा 129 के तहत कार्यवाही करते हुये दिनांक 29-05-2006 से सीमांकन की पुष्टि की है, जो कि उचित है और अपर आयुक्त रीवा ने तहसीलदार गुढ़ के आदेश को स्थिर रखने में कोई त्रुटिनहीं की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-10-08 विधिनुकूल होने से स्थिर रखे जाते है।

(एस.एस. अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर